



04.03.2025



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2025 (फाल्गुन 14, 1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :—
 - (i) अधिसूचना क्रमांक 107/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 6 मई, 2024 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु की निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024,
 - (ii) अधिसूचना क्रमांक 108/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 2 अगस्त, 2024 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 तथा
 - (iii) अधिसूचना क्रमांक 109/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 29 जुलाई, 2024 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन), 2024 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन (2025-30) एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश के शासकीय सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकलसेल मरीजों को भर्ती कर इलाज की सुविधा नहीं होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य, शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय आड़ावाल, जगदलपुर के बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन वितरण किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री ललित चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम मालूद के प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम चंदखुरी के प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम बेलौदी के पूर्व माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम विनायकपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
- (2) श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य, मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम ईरागांव के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (ii) ग्राम करमतारा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (iii) ग्राम भावसा में एनीकट निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम ताड़ो से कोसमी के मध्य पुलिया निर्माण करने,
- (3) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम बोरतलाव से कटेमा तक पुल-पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम भण्डारपुर से भोथली मार्ग में पेटेश्री नदी पर वृहद पुल निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम पेंझी में अटल समरसता भवन निर्माण करने,
- (4) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत –
 - (i) ग्राम सिरसाही में सड़क निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम कुम्हारी से खैंदा मार्ग का डामरीकरण करने,
 - (iii) ग्राम धौराभाठा में सिंचाई हेतु लिफ्ट एरिगेशन सिस्टम की व्यवस्था करने,
- (5) श्री उमेश पटेल, सदस्य, जिला रायगढ़ अंतर्गत –
 - (i) ग्राम बनहर से जामपाली मार्ग निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम उच्च भिट्ठी से गेजामुड़ा मार्ग निर्माण करने,
- (6) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम परसाही (बाना) के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (ii) ग्राम महुदा-बलौदा-नैला मार्ग का नवीनीकरण करने,
 - (iii) अकलतरा में बायपास सड़क निर्माण करने,

- (7) गुरु खुशवंत साहेब, सदस्य, आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
- (i) महिला महाविद्यालय खोलने,
 - (ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आरंग में ई.सी.जी. और सोनोग्राफी मशीन प्रदाय करने,
 - (iii) ग्राम भंडारपुरी के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,
- (8) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
- (i) ग्राम डोलडुब्बा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
 - (ii) ग्राम बेलटोंगरी मार्ग में सेंधवार नाले पर पुलिया निर्माण करने,
 - (iii) कन्डोरा पहुंच मार्ग में तालासिल्ली में पुलिया निर्माण करने तथा
 - (iv) मुख्य मार्ग डांडटोली से पकरीटोली पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण करने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

रायपुर,
दिनांक 04 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा